उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या– 04/2024/1762/छप्पन-2023-31/2016(Stage-2)
लखनऊ; दिनांक: 05 जनवरी, 2024

अधिसूचना

चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 84/2022/1701/छप्पन-2022-31-2016 (स्टेज-2) दिनांक 18 नवम्बर, 2022, जिला गौतमबुद्धनगर के ग्राम-रन्हैरा, कुरैब, करौली बांगर, दयानतपुर, वीरमपुर व मुढ़रह, परगना जेवर, तहसील जेवर में लोक प्रयोजन अर्थात् नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु 1181.2793 हैक्टेयर भूमि का अर्जन करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी और अन्ततः दिनांक 19 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित की गई थी; उक्त अधिसूचना में राजस्व ग्राम रन्हेरा की गाटा संख्या 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 एवं 1012/3 के स्थान पर गलत भूखण्ड संख्या 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 एवं 1212/3 प्रकाशित हो गए थे। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन उक्त अधिसूचना में प्रकाशित गलत गाटा संख्याओं को पृथक करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अधीन अधिसूचना संख्या 53/2023/382/छप्पन-2023-31/2016 (स्टेज-2) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को जारी की गयी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2022 में गलत प्रकाशित भूखण्ड संख्या 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 एवं 1212/3 के स्थान पर सही भूखण्ड संख्या 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 एवं 1012/3 जिनका कुल क्षेत्रफल 1.5940 हैक्टेयर है, का अर्जन करने के लिए, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या 75/2023/781/छप्पन-2023-31/2016 (स्टेज-2) दिनांक 18 जुलाई, 2023 जारी की गयी थी और अन्ततः दिनांक 22 जुलाई, 2023 को प्रकाशित की गयी। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ उप कलैक्टर, जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

2- पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत कलैक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि दी गई अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल, लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' दिए गए ग्राम जेवर बांगर, मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, धनपुरा, मेंहदीपुर बांगर व तिरथली, परगना जेवर, तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर में कुल 211.8168 हैक्टेयर सीमा तक की भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन क्षेत्रफल के रूप में चिन्हित की गई है, जिसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अधीन अधिसूचना संख्या 53/2023/382/छप्पन-2023-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के साथ अनुसूची-ख में प्रकाशित कराया जा चुका है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन जिला गौतमबुद्धनगर के कलैक्टर को इस आशय की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अधीन भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	**रन्हेरा**	222/1	0.5500
				222/2	0.5500
				1012/1	0.1390
				1012/2	0.2160
				1012/3	0.1390
				योग	**1.5940**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
ग्राम जेवर बांगर, मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, धनपुरा, मेहन्दीपुर बांगर एवं तिरथली परगना जेवर, तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर में कुल 211.8168 हैक्टेयर सीमा तक की भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन क्षेत्रफल के रूप में चिन्हित की गई थी, जिसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अधीन अधिसूचना संख्या 53/2023/382/छप्पन-2023-31/2016 (स्टेज-2) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के साथ अनुसूची ''ख'' में प्रकाशित कराया जा चुका है।					

टिप्पणी:- अर्जन के प्रयोजनार्थ भूमि का नक्शा कलैक्टर, जिला गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
एस0पी0 गोयल
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

NAGARIK UDDAYAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.04/2024/1762/chhappan-2023-31/2016(Stage-2), Dated 05 January, 2024.

NOTIFICATION

NO. 04/2024/1762/chhappan-2023-31/2016(Stage-2),

Lucknow; Dated: 05 January, 2024

Whereas Preliminary Notification no. 84/2022/1701/Chhapan-2022-31/2016 (Stage-2) dated 18th November, 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) for acquisition of 1181.2793 hectares of land in villages Ranhera, Kuraib, Karauli Banger, Dayanatpur, Veerampur and Mundrah, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, District Gautambuddha Nagar, which is required for public purpose, namely, expansion of the Noida International Airport, Jewar through the Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh and lastly published on 19th November, 2022. In place of Gata Numbers 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 and 1012/3 in the said notification of Revenue Village Ranhera incorrect Plot Numbers 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 and 1212/3 were published. Notification Number 53/2023/382/ Chhapppan-2023-31/2016(Stage-2) dated 18th April, 2023 issued under section 19(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been issued leaving the incorrectly published numbers in the said notification under section 11 of the aforesaid Act. In place of incorrectly published plot numbers 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 and 1212/3 in the previously issued notification dated 18th November, 2022 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, for the acquisition of 1.5940 hectare land of correct plot numbers 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 and 1012/3, the Preliminary Notification No. 75/2023/781/Chhappan-2023-31/2016 (Stage-2) dated 18th July, 2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) and lastly published on 22nd July, 2023. The Deputy Collector, Jewar, District Gautam Buddha Nagar was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. After considering the report of the Collector submitted in pursuance of provision under sub-section (2) of the section 15 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 211.8168 hectares in villages Jewar Bangar, Mandalpur, Falaida Banger, Karauli Banger, Dhanpura, Mehandipur Banger and Tirthali, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, District Gautam Buddha Nagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families and has been published in Schedule 'B' with the Notification no. 53/2023/382/Chhappan-2023-31/2016(Stage-2) dated 18th April, 2023.

3. The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act, to direct the Collector of District Gautam Buddha Nagar to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA (IN HECT.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Gautam Buddha Nagar	Jewar	Jewar	Ranhera	222/1	0.5500
				222/2	0.5500
				1012/1	0.1390
				1012/2	0.2160
				1012/3	0.1390
				Total	**1.5940**

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

SCHEDULE-B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECT.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Total 211.8168 hectares of land in Villages Jewar Bangar, Mandalpur, Falaida Banger, Karauli Banger, Dhanpura, Mehandipur Banger and Tirthali, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, District Gautam Buddha Nagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families and has been published in Schedule 'B'' with Notification no. 53/2023/382/Chhappan-2023-31/2016(Stage-2) dated 18th April, 2023.					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector, District Gautambuddha Nagar for the purpose of acquisition.

By order,
S.P. Goyal
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।